रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF
SEP 1976

सं० 296] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 1976/भाद्र 16, 1898
No. 296] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1976/BHADRA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th September 1976

G.S.R. 788(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) 18th Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "H.P." and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"Himachal Pradesh"

1. Senior Posts under the State Government	48
Chief Secretary to Government	1
Financial Commissioner	1
Divisional Commissioner	1
Agricultural Production Commissioner	1
Commissioner and Secretary to Government	2
Commissioner for Tribal Development-*cum*-Secretary Welfare	1
Secretary to Government	4
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Secretary, Public Service Commission	1
Joint/Deputy Secretary	7
Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration	1
Excise and Taxation Commissioner	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Director of Civil Supplies	1
Joint Director of Industries	1
Director of Panchayati Raj-*cum*-Director of Community Development	1
Director of Industries	1
Labour Commissioner and Director Employment and Training	1
Commissioner for Transport and Tourism	1
Director of Vigilance	1
Director of Welfare and Inspector General of Prisons	1
Settlement Officer	1
Deputy Commissioner	12
Commissioner for Departmental Enquiries	1
Joint Agricultural Production Commissioner-*cum*-Joint Secretary	1
Joint Registrar Co-operative Societies	1
	48
2. Central Deputation Reserve at 40 per cent of 1 above	19
	67
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 at 25% of 1 and 2 above	16
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	51

5. Deputation Reserve at 20% of 4 above		12*
6. Leave Reserve at 5% of 4 above		3
7. Junior posts at 20.60% of 4 above		11
8. Training Reserve at 10.59% of 4 above		5
	Direct Recruitment posts.	82
	Promotion posts.	16
	Total authorized Strength.	98

*Includes the following 2 posts in excess of 20 per cent:—

1. Project Officer, Small Farmers Development Agency, Himachal Pradesh.
2. Additional General Manager, Himachal Road Transport Corporation.

[No. 11031/26/76-AIS(II)-A]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली- 7 सितम्बर, 1976

सा०का०नि० 788 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) अठारवां संशोधन, विनियम, 1976 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"हिमाचल प्रदेश"

1.	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद . . .	48
	सरकार के मुख्य सचिव . . .	1
	वित्त आयुक्त	1
	प्रमण्डल आयुक्त	1
	कृषि उत्पादन आयुक्त . . .	1
	आयुक्त तथा सरकार के सचिव . . .	2

आयुक्त जनजातीय विकास सह सचिव कल्याण . .	1
सरकार के सचिव	4
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, लोक सेवा आयोग	1
संयुक्त/उपसचिव	7
निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान .	1
आबकारी तथा कर आयुक्त . .	1
सहकारी समितियों के पंजीकार . .	1
सिविल पूर्ति के निदेशक . .	1
उद्योगों के संयुक्त निदेशक . . .	1
पंचायती राज के निदेशक सह-सामुदायिक विकास निदेशक	1
उद्योगों के निदेशक	1
श्रम आयुक्त तथा निदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण .	1
परिवहन तथा पर्यटन आयुक्त . . .	1
सतर्कता निदेशक . . .	1
कल्याण निदेशक तथा कारागार महानिरीक्षक . .	1
बन्दोबस्त अधिकारी	1
उप आयुक्त	12
विभागीय जांच आयुक्त . . .	1
कृषि उत्पादन संयुक्त आयुक्त, सह संयुक्त सचिव .	1
संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1
	48
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	19
	67
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से .	16
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर)	51

5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	12*
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	3
7. कनिष्ट पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	11
8. प्रक्षिशण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	5
सीधी भर्ती वाले पद	82
पदोन्नति वाले पद	16
कुल प्राधिकृत संख्या	98

*20 प्रतिशत के अतिरिक्त 2 पद शामिल है।

1. परियोजना अधिकारी, लघु कृषक् विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।

2. अपर महा प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश राजकीय रोड परिवहन निगम।

[सं० 11031/26/76-अ०भा०से० (II)-क]

G.S.R. 789(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) 20th Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954:—

(a) In 'Schedule-III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Government' in the Table, for the entry "Himachal Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"Himachal Pradesh		
Chief Secretary to Government	..	Rs. 3,500
Financial Commissioner	..	Rs. 3,000
Division Commissioner	..	Rs. 2500—125/2—2750.
Agricultural Production Commissioner	..	Rs. 2500—125/2—2750.
Commissioner and Secretary to Government	..	Rs. 2500—125/2—2750.
Commissioner for Tribal Development-cum-Secretary Welfare	..	Rs. 2500—125/2—2750.

(b) In "Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)", in the Table, for the entry "Himachal Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH—Secretary to Government
Secretary to Governor
Secretary to Chief Minister

Secretary, Public Service Commission
Joint/Deputy Secretary
Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration
Excise and Taxation Commissioner
Registrar of Cooperative Societies
Director of Civil Supplies
Joint Director of Industries
Director of Panchayati Raj-*cum*-Director of Community Development
Director of Industries
Labour Commissioner and Director Employment and Training
Commissioner for Transport and Tourism
Director of Vigilance
Director of Welfare and Inspector General of Prisons
Settlement Officer
Deputy Commissioner
Commissioner for Departmental Enquiries
Joint Agricultural Production Commissioner-cum-Joint Secretary
Joint Registrar of Co-operative Societies."

[No. 11031/26/76-AIS(II)-B]

सा० का० नि० 789(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम, 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) बीसवां संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 में,—

(क) 'अनुसूची –iii–क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद सारणी में' "हिमाचल प्रदेश" के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टयों तथा दूसरे और तीसरे कालमों में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव	3500 रु०
वित्त आयुक्त	3000 रु०
प्रमण्डल आयुक्त	2500–125/2–2750 रु०
कृषि उत्पादन आयुक्त	2500–125/2–2750 रु०
आयुक्त जनजातीय विकास सह सचिव कल्याण	2500–125/2–2750 रु०
आयुक्त तथा सरकार के सचिव	2500–125/2–2750 रु०

(ख) "अनुसूची–III ख–में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद (जिनमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं)" सारणी में "हिमाचल प्रदेश" के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि तथा दूसरे कालम में तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"हिमाचल प्रदेश—	सरकार के सचिव
	राज्य पाल के सचिव
	मुख्य मंत्री के सचिव
	सचिव, लोक सेवा आयोग
	संयुक्त/उप सचिव
	निदेशक, हिमाचल प्रदेश
	लोक प्रशासन संस्थान
	आबकारी तथा कर आयुक्त
	सहकारी समितियां के पंजीकार
	सिविल पूर्ति के निदेशक
	उद्योगों के संयुक्त निदेशक
	पंचयाती राज के निदेशक
	सह सामुदायिक विकास निदेशक
	उद्योगों के निदेशक
	श्रम आयुक्त तथा निदेशक
	रोजगार तथा प्रशिक्षण
	परिवहन तथा पर्यटन आयुक्त
	सतर्कता निदेशक
	कल्याण निदेशक तथा कारागार
	महा निरीक्षक
	बन्दोबस्त अधिकारी
	उप आयुक्त
	विभागीय जांच आयुक्त
	कृषि उत्पादन संयुक्त आयुक्त
	सह संयुक्त सचिव
	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

[सं० 11031/26/76–अ०भा०से० (II)-ख)]

G.S.R. 790(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 the Central Government in consultation with the Government of Orissa hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

(1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) XIII Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Orissa" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely:—

"Orissa"

1.	Senior posts under State Government	52
	Inspector General of Police	1
	Additional Inspector General of Police (Vigilance)	1
	Deputy Inspectors General of Police	7
	Deputy Inspector General of Police (Vigilance)	1
	Deputy Commandant General, Home Guards	1
	Assistant Inspectors General of Police	3
	Assistant Inspector General of Police (Vigilance)	1
	Superintendents of Police (Districts)	14
	Superintendents of Police (Vigilance)	3
	Superintendents of Police (Crime Branch)	2
	Superintendents of Police (Special Branch)	2
	Superintendent of Police (Railways)	1
	Superintendent of Police (Rourkela)	1
	Additional Superintendents of Police	9
	Principal, Police Training College	1
	Commandants Orissa Military Police	4
		52
2.	Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	21
3.	Posts to be filled by promotion and Selection under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 at 25% of 1 and 2 above.	18
4.	Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	55
5.	Deputation Reserve at 5% of 4 above	11
6.	Leave Reserve at 5% of 4 above	3
7.	Junior posts at 20.60% of 4 above	11
8.	Training Reserve at 10.59% of 4 above	6
	Direct Recruitment Posts	86
	Promotion Posts	18
	Total Authorised Strength	104

N.B.: The total authorised Cadre strength of Orissa prior to the revised composition and strength as given in the above notification was 99.

[No. 11052/16/76-AIS(II)-A]

सा० का० नि० 790(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 1976 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में शीर्षक "उड़ीसा" व अन्य प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"उड़ीसा"

1.	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	52
	पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
	पुलिस अपर महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक	7
	पुलिस उप महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
	डिप्टी कमांडेंट जनरल, होम गार्डस	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक	3
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
	पुलिस अधीक्षक (जिला)	14
	पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	3
	पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा)	2
	पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा)	2
	पुलिस अधीक्षक (रेलवे)	1
	पुलिस अधीक्षक (राउरकेला)	1
	पुलिस अपर अधीक्षक	9
	प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज	1
	उड़ीसा सैनिक पुलिस कमांडेंट	4
		52
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 से 40 प्र०श० के हिसाब से	21

3.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र० श० के हिसाब से	18
4.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर	55
5.	प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र०श० के हिसाब से	11
6.	छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र०श० के हिसाब से	3
7.	कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र०श० के हिसाब से .	11
8.	प्रशिक्षणी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्र०श० के हिसाब से	6
	सीधी भर्ती पद	86
	पदोन्नति पद	18
	कुल प्राधिकृत संख्या	104

विशेष ध्यान दीजिए :— उपर्युक्त अधिसूचना के प्रभावित होने से पूर्व उड़ीसा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 99 थी ।

[सं० 11052/16/76-अ०भा०से० (II)-(क)]

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services, Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Orissa, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) XV Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In "Schedule III-A Posts carrying pay above the time-scale pay of the Indian Police Service under the State Governments", for the entry "Orissa" occurring in the first column, and the corresponding entries in the second and the third columns the following shall respectively be substituted, namely:—

State	*Particulars of Posts*	*Pay/Scale of Pay*
"Orissa"	Inspector General of Police	2500—125/2—2750
	Additional Inspector General of Police (Vigilance)	2250—125/2—2500
	Deputy Commandant General, Home Guards	2000—125/2—2250
	Deputy Inspectors General of Police	2000—125/2—2250
	Deputy Inspectors General of Police (Vigilance)	2000—125/2—2250

(b) In "Schedule III-B posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Police Service under the State Governments (including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale)", for the entry "Orissa" in first column, and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

State	*Particulars of Posts*
Orissa	Assistant Inspectors General of Police
	Assistant Inspector General of Police (Vigilance)
	Superintendents of Police (Districts)
	Superintendents of Police (Vigilance)
	Superintendents of Police (Crime Branch)
	Superintendents of Police (Special Branch)
	Superintendent of Police (Railways)
	Superintendent of Police (Rourkela)
	Additional Superintendents of Police
	Principal, Police Training College
	Commandants Orissa Military Police.

[No. 11052/16/76-AIS(II)-B]

K. K. JASWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 791 (अ).— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1976 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954,—

(क) "अनुसूची III-क राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद सारणी में" उड़ीसा के पहले कालम में तथा दूसरे तथा तीसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

राज्य	पदों का विवरण	वेतन/वेतनमान
उड़ीसा	पुलिस महानिरीक्षक	2500—125/2—2750
	पुलिस अपर महानिरीक्षक (सतर्कता)	2250—125/2—2500
	डिप्टी कमांडेंट जनरल, होम गार्डस	2000—125/2—2250
	पुलिस उप महानिरीक्षक	2000—125/2—2250
	पुलिस उप महानिरीक्षक (सतर्कता)	2000—125/2—2250

(ख) "अनुसूची III-ख राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद (जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतनों वाले पद भी शामिल हैं)" शीर्षक में "उड़ीसा" के पहले कालम में तथा दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों का विवरण
उड़ीसा	सहायक पुलिस महानिरीक्षक
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता)
	पुलिस अधीक्षक (जिला)
	पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा)
	पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
	पुलिस अधीक्षक (रेलवे)
	पुलिस अधीक्षक (राउरकेला)
	पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा)
	पुलिस अपर अधीक्षक
	प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज
	उड़ीसा सैनिक पुलिस कमांडेंट ।

[सं० 11052/16/76-अ०भा०से०(II)—ख]

कमल कान्त जैसवाल, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976